



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941

No. 205]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून 2019

**सं. भा.आ.प.-12(2)/2019-मेड.विविध/122527.**—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुनः संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

- 1(i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998", में अनुसूची-1 में, दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित, खंड 6 में, शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत "वरिष्ठ रेजीडेंट" वाली सारणी के नीचे टिप्पणी के रूप में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-

"परंतु यह कि ऐसी विधाओं में, जहां लागू होने वाली '50/100/150/200/250 दाखिले प्रति वर्ष के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली' में वरिष्ठ रेजीडेंट का पद विनिर्धारित नहीं किया गया है, संबंधित विधा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजीडेंट/रजिस्ट्रार के रूप में एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।"

3. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-1 में, दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित खंड 6 में अति विशेषज्ञता/डीएम/एम.सीएच/डीएनबी शीर्षक वाली सारणी II को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

**“अति विशेषज्ञता (डीएम/एम.सीएच/डीएनबी)**

पद	शैक्षिक योग्यता	अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव
<p>प्रोफेसर/अपर प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव)</p>	<p>संबंधित विषय में डीएम/एम.सीएच/डीएनबी में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता और विनियमावली की दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार या किसी अध्यापक संस्थान में संबंधित अति विशेषज्ञता विभाग में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण के साथ दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित विधा में एमडी/एमएस/डीएनबी या निम्नलिखित शर्तों के साथ किसी अध्यापन संस्थान में संबंधित अति विशेषज्ञता इकाई/विभाग में तीन वर्ष के कार्य अनुभव के साथ दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित विधा में एमडी/एमएस/सामान्य विशेषज्ञता डीएनबी:-</p> <p>क. कार्य अनुभव, इकाई और/या विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और निदेशक/डीन/प्रधानाचार्य द्वारा समर्थित हो।</p> <p>ख. ऐसे संकाय सदस्यों को पिछले 3 वर्षों के दौरान</p>	<p>प्रथम लेखक के रूप में तदनुसूची लेखक के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।</p>

	<p>ऐसी अति विशेषज्ञता में कम से कम दो तिहाई समय समर्पित किया हुआ होना चाहिए (अध्यापन, नैदानिक और अनुसंधान कार्य, इकाई/ विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित और निदेशक/ डीन/ प्रधानाचार्य द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए)</p> <p>ग. संबंधित विशेषज्ञता में अध्यापन अनुसंधान, नैदानिक सेवाओं/ जन स्वास्थ्य आदि के प्रति योगदान का दस्तावेजी प्रमाण।</p>	
एसोसिएट प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात 2 वर्ष का अनुभव)	-वही-	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 2 वर्ष के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
सहायक प्रोफेसर	-वही-	

**टिप्पणी:**

- ऊपर दर्शायी गई शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होगी। इस बात पर बल दिया जाता है कि केवल संबंधित अति विशेषज्ञता विषय की शैक्षिक योग्यता ही, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात अध्यापन संकाय पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होगी।
- दस वर्ष की पारगमन अवधि के दौरान अध्यापन संकाय के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति, दस वर्ष की परगमन अवधि समाप्त हो जानेके पश्चात भी एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के हकदार होंगे। ऐसे व्यक्ति, उसी या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में 70 वर्ष की आयु तक स्वयं द्वारा धारित अध्यापन पद पर रहने के भी हकदार होंगे।
- "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-1 में, खंड 12 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-  
सामान्य विशेषज्ञता के विषयों, जैसे पौषाहार, भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास, मानव चयापचय, मेरिन मेडिसिन, रतिजरोग-विज्ञान, संक्रामक रोग में विशेष प्रशिक्षण की शर्त विनिर्धारित की गई या की जा सकती है तो निम्नलिखित अनुभव पर भी विचार किया जाएगा:  
किसी अध्यापक संस्थान में संबंधित अति विशेषज्ञता इकाई/ विभाग में तीन वर्ष के कार्य अनुभव के साथ दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित विधा में एमडी/एमएस/डीएनबी।

- क. कार्य अनुभव, इकाई और/या विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और निदेशक/ डीन/प्रधानाचार्य द्वारा समर्थित हो।
- ख. ऐसे संकाय सदस्यों को पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसी अति विशेषज्ञता में कम से कम दो तिहाई समय समर्पित किया हुआ होना चाहिए (अध्यापन, नैदानिक और अनुसंधान कार्य, इकाई/ विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित और निदेशक/ डीन/ प्रधानाचार्य द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए)
- ग. संबंधित विशेषज्ञता में अध्यापन अनुसंधान, नैदानिक सेवाओं/ जन स्वास्थ्य आदि के प्रति योगदान का दस्तावेजी प्रमाण।
5. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-1 में खंड 8 में यथा उद्धृत, खेलकूद मेडिसिन पाठ्यक्रम के संबंध में सारणी। में, प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के लिए कालम में शैक्षिक योग्यता को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।  
 एम.डी. (खेलकूद मेडिसिन) /  
 एम.एस. (विकलांग विज्ञान) /  
 एम.डी. (भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास) /
- डीएनबी (खेलकूद मेडिसिन) (दिनांक 01.11.2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा स्वीकृत समतुल्यता)

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव  
 [विज्ञापन-III/4/असा./93/19]

**पाद टिप्पणी:** प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017, 23/01/2018 और 01/11/2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**BOARD OF GOVERNORS  
 IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA  
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2019

**No. MCI-12(2)/2019-Med.Misc./122527.**—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998, namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019".
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in Schedule 1, Clause 6, as amended vide notification dated 01.11.2018, following shall be added as Note below the table containing “Senior Resident” under academic qualifications:-

“Provided that in disciplines where the post of Senior Resident is not prescribed in the applicable Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 Admissions Annually Regulations one year experience as Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar after obtaining Post Graduate Degree in the concerned discipline shall be required.”

3. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in Schedule 1, Clause 6, as amended vide notification dated 01.11.2018 table II with the Heading Super Specialty/DM/M.Ch./DNB shall be substituted with the following table:-

**“Super Speciality (DM/M.Ch./DNB)**

Posts	Academic Qual.	Teaching & Research Exp.
Professor/ Addl. Professor (5 years of Post SuperSpecialty experience)	<p>A super specialty post graduate qualification in DM/M.Ch./Super-speciality DNB in the concerned subject as per notification dated 01.11.2018 Regulations</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>MD/MS/Broad specialty DNB in concerned subject as per notification dated 01.11.2018 with two years Special Training in respective Super specialty department in a teaching Institution.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>MD/MS/ Broad specialty DNB in concerned subject as per notification dated 01.11.2018 with three years work experience in respective Super specialty Unit/Department in a teaching Institution with the following conditions:-</p> <p>a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/ or Department, and endorsed by Director/Dean/ Principal.</p> <p>b. Such faculty member must have devoted at least 2/3<sup>rd</sup> time in such super-specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal.</p> <p>c. Documentary proof of contribution to teaching, research, clinical services/ public health etc. in concerned super-speciality.</p>	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/ approved/ recognized medical college/ institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on cumulative basis with minimum of 2 Research publications during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
Associate Professor/(2 years of Post Super Speciality experience)	- do -	As Assistant Professor in the subject for 2 years in a permitted/ approved/ recognized medical college/ institution with 2 Research Publications in Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
Asst. Professor	- do -	

**NOTE:** 1. The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of respective Super Specialty subject will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

2. Persons appointed as teaching faculty during the transition period of ten years shall be entitled for promotion to the post of Associate Professor/ Professor even after the transition period of ten years over. Such person shall also be entitled to hold the teaching position held by her/him until the age of 70 years in same or any other Medical Institution.

4. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in Schedule 1, the following shall be added as Clause 12:

In the subjects of broad specialty where requirement of special training is prescribed, such as Nutrition, Physical Medicine and Rehabilitation, Human Metabolism, Marine Medicine, Virology, Infectious Disease, or may be prescribed, the following experience shall also be considered :

MD/MS/Broad specialty DNB in concerned subject as per notification dated 01.11.2018 (as prescribed for particular subject) with three years work experience in respective specialty Unit/Department in a teaching Institution with the following conditions:-

- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal.
- b. Such faculty member must have devoted at least 2/3<sup>rd</sup> time in such specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal.
- c. Documentary proof of contribution to teaching, research, clinical services/public health etc. in concerned speciality.

5. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in Schedule 1, in Table I in respect of Sports Medicine course as quoted in Clause 8, following shall be substituted in the column for Academic Qualification required for Professor, Associate Professor and Assistant Professor.

M.D. (Sports Medicine) /  
 M.S. (Orthopaedics) /  
 M.D. (Physical Medicine & Rehabilitation)/  
 DNB (Sports Medicine) (Equivalence as granted by the Gazette Notification 01/11/2018).

Dr. R.K. VATS, Secy.-General  
 [ADVT.-III/4/Exty./93/19]

**Footnote:** The Principal Regulations namely, “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998” were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5<sup>th</sup> December, 1998 and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017, 23.01.2018 and 01.11.2018.